[2019] 12 एस. सी. आर. 1011

मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटी का संगठन

आकांक्षी और निवासी और ओ. आर. एस.

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) No.376)

19 अगस्त, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

भारत का संविधान: कला. 162 ; सातवीं अनुसूची, सूची I,

प्रविष्टि 63 से 66; सूची III प्रविष्टि 25-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय उम्मीदवारों द्वारा बांड के अनिवार्य निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य सरकार की अधिसूचना का अधिकार क्षेत्र यह प्रदान करता है कि वे पाठ्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कुछ निर्धारित अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करेंगे, जिसमें विफल रहने पर वे राज्य सरकार को प्रतिदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार की क्षमता-आयोजित: संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण को संदर्भित करती है।

शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान

-

7 वीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा से संबंधित है, जो सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन है-संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन चिकित्सा शिक्षा से संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं-चिकित्सा शिक्षा

भारतीय परिषद अधिनियम इस देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रित करता है-यह सच है कि चिकित्सा परिषद में कोई प्रावधान नहीं है

अनिवार्य बंधपत्रों के विषय को छूते हुए भारत अधिनियम

इसलिए, राज्य इस विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं -

चिकित्सा बॉन्ड-राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ व्यापक है।

- किसी भी कानून के अभाव में भी राज्य सरकार ने

जिन मामलों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, उन पर Art.162 के तहत कार्यकारी आदेश जारी करने की क्षमता-इस प्रकार, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अनिवार्य बांड के निष्पादन की शर्त लगाने वाली राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

[2019] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकार या क्षमता की कमी के कारण दूषित-भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम।

भारत का संविधान: Art.14-राज्य द्वारा जारी अधिसूचना

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश के समय बांड के अनिवार्य निष्पादन के लिए सरकार यह प्रावधान करती है कि वे सफलतापूर्वक पूरा होने पर कुछ निर्धारित अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करेंगे। ऐसे पाठ्यक्रम जो ऐसा न करने पर वे राज्य सरकार को प्रतिदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे-चाहे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो और मनमाना हो-आयोजित किए गए: स्नातकोत्तर और सुपर ग्रेजुएट के साथ मेडिकल कॉलेज चलाना

विशेष पाठ्यक्रमों के लिए भारी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है-हालांकि, निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की राशि बहुत कम है डॉक्टरों को उचित वजीफा दिया जाता है-राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल मानव जीवन को बचाने के लिए चिकित्सा सहायता देने के लिए बाध्य हैं-किसी सरकारी अस्पताल की ओर से ऐसे उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप संविधान के Art.21 के तहत गारंटीकृत उसके अधिकार का उल्लंघन होता है-नतीजतन, राज्य सरकारों द्वारा उन डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया जो सरकारी सहायता के लाभार्थी थे।

उनकी पूरी शिक्षा को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

भारत का संविधान: Art.14-द्वारा जारी अधिसूचनाएँ

राज्य सरकारें अनिवार्य सेवा की शर्त और एक डिफ़ॉल्ट खंड-तर्कसंगतता-लागू करती हैं: अनिवार्य सेवा की शर्त और एक डिफ़ॉल्ट खंड लागू करने वाली अधिसूचनाएँ अपने आप में हैं। अनुचित नहीं-हालांकि, अनिवार्य सेवा और निकास की अवधि उचित होनी चाहिए-राज्य सरकारों और सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय को यह लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है

दो साल की अनिवार्य सेवा अवधि की शर्त जिसमें चूक करने पर डॉक्टर सरकार को भुगतान करके भुगतान करेंगे।

रु. 20 लाख। भारत का संविधान: कलाएँ। 19 (1) (छ), 19 (6)-जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार-पेशे से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार-के अनुसार

अपीलार्थियों के लिए, Art.19 (1) (g) द्वारा गारंटीकृत अपने पेशे को जारी रखने के अधिकार का अनिवार्य बांड द्वारा उल्लंघन किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा अपने पेशे को जारी रखने के उनके अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध केवल कला के अनुसार "कानून" द्वारा किया जा सकता है। 19 (6) में से

संविधान का आयोजन:

मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स के संगठन द्वारा निष्पादित अनिवार्य बंधन v. भारत का संघ

अपीलार्थी स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में अपने प्रवेश के समय होते हैं।

मेडिकल कॉलेज किसी व्यक्ति के अपने पेशे को जारी रखने के अधिकार का सीधे उल्लंघन नहीं करेगा-पेशे को जारी रखने का अधिकार पाठ्यक्रम के पूरा होने पर शुरू हो जाएगा-शुरुआत में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति को उच्चतर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

शिक्षा-किसी कॉलेज में प्रवेश से संबंधित मामले में Art.19 (1) (g) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है-जो शर्त लगाई जाती है, उसका संबंध पाठ्यक्रम पूरा होने पर डॉक्टर की पेशेवर गतिविधि से होता है-हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने बिना किसी विरोध के, प्रवेश स्वीकार कर लिया है और अनिवार्य बांड को निष्पादित कर दिया है-अपीलकर्ता संविधान के Art.19 (1) (g) का उल्लंघन करने के लिए अधिसूचनाओं पर हमला करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य पर लगाया गया संवैधानिक दायित्व। भारत का संविधानः Art.21-गरिमा के साथ जीने का अधिकार-Art.21 में निहित जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है-इसका अर्थ है केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक कुछ। जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसके साथ आने वाली सभी चीजें शामिल हैं, जैसे कि पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय, और पढ़ने, लिखने और विभिन्न रूपों में खुद को व्यक्त करने की सुविधाएं, स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने और साथी मनुष्यों के साथ मिलने-जुलने की सुविधा-गरिमा वह मूल है जो मौलिक अधिकारों को एकजुट करता है क्योंकि

मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्तित्व की गरिमा प्राप्त करना चाहते हैं-राज्य के दायित्व केवल मानव गरिमा के अधिकार पर सीमाएं लगाने से बचने से संतुष्ट नहीं होते हैं-राज्य को मानव गरिमा की रक्षा करने और इसे प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए-गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य [2019] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनुष्यों की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

भारत का संविधान: Art.23-क्या प्रति बॉन्ड की शर्तें जबरन श्रम के बराबर हैं और इस प्रकार Art.23 (1) का उल्लंघन करती हैं-जिन अपीलार्थियों को एक अच्छे वजीफे पर छोटी अवधि के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, वे शिकायत नहीं कर सकते कि उन्हें जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

सरकार अपीलार्थियों से सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य सेवा करने की अपेक्षा करे जो निस्संदेह जनता के लाभ के लिए है। भारत का संविधान: Art.47-स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है सरकार का संवैधानिक दायित्व है -

स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना-कला। 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य पर लगाए गए संवैधानिक दायित्व को दोहराता है-यह राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में सुरक्षित करे-इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार इस दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए, प्रतीक्षा सूची की कतार को यथासंभव कम करने के लिए, इसे अपने लोगों की पहुंच के भीतर होना चाहिए, और इसे प्रभावी योगदान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त करने और अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जो कि लोगों का कर्तव्य भी है।

सरकार-समाज के वंचित वर्गों की उचित स्वास्थ्य देखभाल की तत्काल आवश्यकता अनिवार्य सेवा की शर्त और एक डिफ़ॉल्ट खंड लागू करने की सरकारी नीति के पीछे का कारण है-नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार किया जाए-जिनके पास नहीं है-अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया अधिकार अपने पेशे को जारी रखने के लिए एक व्यक्तिगत विकल्प बनाना है जो नीति द्वारा बाधित हो सकता है।

सरकार का निर्णय दूसरी ओर, सरकार के निर्णय के पीछे मूल विचार व्यापक जनहित है-सही

आई. डी. 1 द्वारा गारंटीकृत जीवन का अर्थ है मानव गरिमा के साथ जीवन का अधिकार निजी व्यक्तियों की गरिमा के साथ सामुदायिक गरिमा को संतुलित करते हुए, तराजू को सामुदायिक गरिमा के पक्ष में झुकना चाहिए-वह प्रशंसनीय उद्देश्य जिसके साथ राज्य सरकार का सामाजिक कल्याण और विशेष आकांक्षाओं और निवासियों का संगठन।

भारत का संघ

अनिवार्य सेवा बांड की शुरुआत की है जो सुरक्षा के लिए है

Art.21 के तहत समाज के वंचित वर्गों के मौलिक अधिकार की गारंटी-अपीलार्थियों का यह तर्क कि Art.21 के तहत उनके अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन किया गया है, खारिज कर दिया जाता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: एस. 14-व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध

व्यक्तिगत रूप से अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का निषेध

आयोजित सेवा: विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 निषेध करती है व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधों का प्रवर्तन-यह एक सामान्य कानून है कि

न्यायालय आम तौर पर अनुबंधों के निष्पादन को लागू नहीं करते हैं -

व्यक्तिगत चरित्र, जैसे कि रोजगार का अनुबंध-किसी भी राज्य सरकार ने सेवा बांड के माध्यम से अपीलार्थियों के साथ किए गए अनुबंधों को लागू करने का प्रयास नहीं किया।

भारत का संविधान।

अनुबंध अधिनियम, 1872: एस. 27-पेशे पर प्रतिबंध-अपीलार्थियों की याचिका कि अनिवार्य बांड उनके व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाते हैं।

पेशा और इस प्रकार, एस के विपरीत होगा। 27 आयोजित अनुबंध अधिनियम के बारे में: अपीलार्थियों द्वारा उचित शर्तों के तहत कुछ वर्षों के लिए सरकार की सेवा करने के लिए किया गया अनुबंध नहीं हो सकता है।

व्यापार के प्रतिबंध में एक के रूप में वर्णित-सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर और अति-विशिष्टता पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य बांड की शर्तें धाराओं का उल्लंघन नहीं करती हैं। 27 अनुबंध अधिनियम-अनिवार्य बंधपत्रों को निष्पादित करने वाले सभी डॉक्टर उसमें निहित शर्तों से बाध्य होंगे-इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्य सरकारों के पास अपीलकर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनिवार्य बंधपत्रों में कठोर शर्तें हैं और अनिवार्य बंधपत्रों से संबंधित मामले में एकरूपता की आवश्यकता महसूस की गई है, भारत संघ और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा सरकार में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवा के संबंध में एक समान नीति बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

संस्थान-भारत का संविधान।

रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: I. राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र:

1. संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 में मानकों के समन्वय और निर्धारण को संदर्भित किया गया है। उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक के लिए संस्थान और

तकनीकी संस्थान। 7वीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा [2019] 12 एस. सी. आर. सहित शिक्षा से संबंधित है।

और विश्वविद्यालय, सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य विधानमंडल द्वारा संसद द्वारा बनाए गए विधान के अधीन चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विधान बनाए जा सकते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम इस देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। मान लीजिए, वहाँ कोई नहीं है

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में अनिवार्य बंधपत्रों की विषय वस्तु से संबंधित प्रावधान। इसलिए, राज्य चिकित्सा बॉन्ड के विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। किसी भी कानून के अभाव में भी राज्य सरकार के पास है

अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी आदेश जारी करने की क्षमता

जिन मामलों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, उन पर संविधान। अनिवार्य रोजगार की आवश्यकता वाले बॉन्ड का क्षेत्र किसी भी केंद्रीय कानून के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियां कि राज्यों के पास अधिसूचना जारी करने की क्षमता का अभाव है क्योंकि

कब्जे को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 17] [1035-जी-एच; 1036-ए-सी]

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: अनुच्छेद 14:

मनमानी और तर्कसंगतता

2.1 स्नातकोत्तर और सुपर मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए विशाल बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव करना होगा। विशेष पाठ्यक्रम। निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में छात्रों से ली जाने वाली फीस की राशि बहुत कम है।

दो साल की अनिवार्य सेवा अवधि की शर्त लागू करना, जिसमें चूक करने पर डॉक्टर सरकार को मुआवजा देंगे। रुपये देकर। 20 लाख।

[पारस 18-19] [1036-एच; 1037-ए-बी, जी-एच] मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स और रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत का संघ

अनुच्छेद 19:

2.2 अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित अनिवार्य बंधपत्र स्नातकोत्तर और सुपर ग्रेजुएट में उनके प्रवेश के समय होता है।

विशेष पाठ्यक्रम। चिकित्सा में प्रवेश के लिए लगाई गई शर्तें

कॉलेज किसी व्यक्ति के अपने पेशे को जारी रखने के अधिकार का सीधे उल्लंघन नहीं करेगा। पेशे को जारी रखने का अधिकार होगा

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शर्त लगाई गई है वह है पाठ्यक्रम पूरा होने पर एक डॉक्टर की पेशेवर गतिविधि के साथ संबंध। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने बिना किसी विरोध के,

प्रवेश स्वीकार किए और अनिवार्य बंधपत्रों को निष्पादित किया। बॉन्ड का निष्पादन एक समग्र पैकेज का हिस्सा है। द.

अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने के लिए अधिसूचनाओं पर हमला करने में सफल नहीं हो पाए हैं। [पैरा 20] [1038-सी-ई]

अनुच्छेद 21

2.3 भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करने का राज्य का दायित्व। अतः मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल और उनमें कार्यरत चिकित्सा अधिकारी मानव जीवन के संरक्षण के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सरकारी अस्पताल की ओर से ऐसे उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके अधिकार का उल्लंघन होता है। इसलिए, एक कल्याणकारी राज्य में यह राज्य का दायित्व है कि वह अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना सुनिश्चित करे। संविधान का अनुच्छेद 47 संवैधानिक दायित्व को दोहराता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य पर लागू किया गया। यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को खोलकर इस दायित्व को निभा रही है, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए, इसे जहां तक संभव हो, अपने लोगों की पहुंच के भीतर होना चाहिए।

प्रतीक्षा सूचियों की कतार को कम करें, और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और [2019] 12 एस. सी. आर. देने के लिए अपने प्रशासन को मजबूत करना होगा।

प्रभावी योगदान, जो सरकार का कर्तव्य भी है। [पारस 21-22,25] [1039-B-C, G; 1040-A]

अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम। संघ का

भारत (1981) 1 एससीसी 246: [1981] 2 एस. सी. आर. 185; पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य

(1996) 4 एससीसी 37: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 331; पंजाब राज्य बनाम। राम लुभाया बग्गा (1998) 4 एससीसी

117 : [1998] 1 एस. सी. आर. 1120; भारत संघ बनाम। मूलचंद

खैराती राम ट्रस्ट। (2018) 8 एससीसी 321: [2018] 7 एस. सी. आर. 939; खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295: [1964] एस. सी. आर. 332; विन्सेंट पनिकुरलंगारा बनाम। संघ का भारत (1987) 2 एससीसी 165: [1987] 2 एससीआर 468

पर भरोसा किया।

मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसके साथ आने वाली सभी चीजें, जैसे कि पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय, और पढ़ने, लिखने और विभिन्न रूपों में खुद को व्यक्त करने की सुविधा, स्वतंत्र रूप से घूमने और साथी मनुष्यों के साथ मिलने-जुलने की सुविधा। प्रत्येक कार्य जो मानव गरिमा को आहत करता है या बाधित करता है, वह जीने के इस अधिकार से वंचित करेगा और प्रतिबंध उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित जो अन्य मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरता है। जीना सम्मान के साथ जीना है। संविधान के प्रारूपकों ने समाज के बारे में अपनी दृष्टि को परिभाषित किया जिसमें

संवैधानिक मूल्यों पर जोर देकर प्राप्त किया जाएगा,

अन्य स्वतंत्रताएँ, स्वतंत्रता और गरिमा। गरिमा इतनी मौलिक है कि यह संविधान के भाग III द्वारा व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों के मूल में व्याप्त है।

गरिमा वह मूल है जो मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स और रेजिडेंट्स के समाज को एकजुट करता है। भारत का संघ

मौलिक अधिकार क्योंकि मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्तित्व की गरिमा प्राप्त करना चाहते हैं। राज्य के दायित्वों को केवल मानव गरिमा के अधिकार पर सीमाएं लगाने से बचना चाहिए। राज्य को भी करना चाहिए मानव गरिमा की रक्षा करने और इसकी प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई करें। [पारस 26-28] [1040-B-F]

पंजाब राज्य और अन्य। वी. मोहिंदर सिंह चावला (1997) 2 एससीसी 83: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 279; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश

दिल्ली, (1981) 1 एससीसी 608: [1981] 2 एससीआर 516

पर भरोसा किया।

2.5 समाज के एक बड़े वर्ग की गरिमा को बनाए रखने के लिए राज्य का सकारात्मक दायित्व प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना है।

संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा उन पर। समाज के वंचित वर्गों की उचित स्वास्थ्य देखभाल की तत्काल आवश्यकता सरकार के नीतिगत निर्णय के पीछे का कारण थी। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार जरूरतमंद लोगों तक भी किया जाए। [पैरा 30] [1041-डी]

के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1:

[2017] 10 एस. सी. आर. 569-अनुसरण किया गया।

2.6 . अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया अधिकार अपने पेशे को जारी रखने के लिए एक व्यक्तिगत विकल्प बनाना है जो हो सकता है -

सरकार के निर्णय से बाधित। दूसरी ओर, सरकार के फैसले के पीछे मूल विचार व्यापक जनहित है। जब सार्वजनिक हित के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो निजी हित को पीछे हटना पड़ता है। [पैरा 31] [1041-एफ]

श्री एक्स वी. अस्पताल 'जेड' (1998) 8 एस. सी. सी. 296: [1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 723; सैयद रतनभाई सईद (डी) थर। एल. आर. एस. और ORs.v। शिरडी नगर पंचायत और अन्र। (2016) 4

एस. सी. सी. 631 [2016] 11 एस. सी. आर. 476-पर निर्भर था।

2.6 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यू. डी. एच. आर)

प्रस्तावना में अंतर्निहित गरिमा की मान्यता दर्ज की गई है

और स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव के रूप में मानव परिवार के सभी सदस्यों के समान और अविभाज्य अधिकारों का। द.

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आई. सी. ई. एस. सी. आर.) प्रत्येक व्यक्ति के आनंद [2019] 12 एस. सी. आर. के अधिकार को मान्यता देती है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उच्चतम प्राप्य मानक। आई. सी. ई. एस. सी. आर. राज्यों की पार्टियों को शर्तों के निर्माण के माध्यम से उपरोक्त अधिकार की पूर्ण प्राप्ति प्राप्त करने का आदेश देता है।

निजी व्यक्तियों की गरिमा की तुलना में सामुदायिक गरिमा के पक्ष में तराजू झुकना चाहिए। द. प्रशंसनीय उद्देश्य जिसके साथ राज्य सरकारों ने काम किया है

शुरू किया गया अनिवार्य सेवा बांड भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समाज के वंचित वर्गों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए है। अपीलार्थियों का यह तर्क कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन किया गया है, खारिज कर दिया जाता है। [पारस 32-33] [1042-C-F]

2.7 क्या प्रति बॉन्ड की शर्तें 'जबरन श्रम' के बराबर हैं और इस प्रकार अनुच्छेद 23 (1) का उल्लंघन करती हैं।

संविधान। जिन अपीलार्थियों को एक अच्छे वजीफे पर एक छोटी अवधि के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, वे शिकायत नहीं कर सकते हैं कि उन्हें 'जबरन श्रम' करने के लिए मजबूर किया जाता है, विशेष रूप से जब अपीलार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का लाभ उठाने के लिए एक सूचित निर्णय लिया है और सब्सिडी प्राप्त की है।

शिक्षा. किसी भी तरह से, सरकारी अस्पतालों में अपीलार्थियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा 'जबरन श्रम' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। संविधान का अनुच्छेद 23 (2) राज्य सरकारों को अपीलकर्ताओं से सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य सेवा करने की अपेक्षा करने में सक्षम बनाता है जो निस्संदेह जनता के लाभ के लिए है। [पारस 35-36] [1043-A-C, E]

रॉबर्टसन बनाम। बाल्डविन 165 यू. एस. 275 (1897); बटलर बनाम पेरी (1916), 240 यू. एस. 328,329-संदर्भित

3. व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करती है। यह एक सामान्य कानून है कि अदालतें आम तौर पर व्यक्तिगत चरित्र के अनुबंधों के प्रदर्शन को लागू नहीं करती हैं, जैसे कि रोजगार का अनुबंध। व्यक्तिगत सेवा के लिए अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन अनुमेय नहीं है-मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स और रेजिडेंट्स का समाज।

इसलिए, विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत, व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई डिक्री नहीं हो सकती है। किसी भी राज्य सरकार ने सेवा बांड के माध्यम से अपीलार्थियों के साथ किए गए अनुबंधों को लागू करने का प्रयास नहीं किया है। अनिवार्य बांड विशिष्ट राहत अधिनियम के उल्लंघन में आते हैं। [पारस 37-38] [1043-F; 1044-C]

रिग्बी वी. कोनोल (1880) 14 Ch D 482-संदर्भित

4. पेशे पर प्रतिबंध

अपीलार्थियों द्वारा उचित शर्तों के तहत कुछ वर्षों के लिए सरकार की सेवा करने के लिए किया गया अनुबंध नहीं हो सकता है।

व्यापार के प्रतिबंध में एक के रूप में वर्णित। की शर्तें

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य बॉन्ड नहीं हैं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 का उल्लंघन। अनिवार्य बंधपत्र निष्पादित करने वाले सभी डॉक्टर उसमें निहित शर्तों से बाध्य होंगे। [पारस 39-40] [1044-F-H; 1045-A]

एसो पेट्रोलियम बनाम। हार्पर्स गैरेज (स्टोरपोर्ट) लिमिटेड।

1967 1 सभी ईआर 699 का उल्लेख किया गया है।

5. एक समान नीति

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनिवार्य बांडों में कठोर शर्तें हैं

अपीलार्थी और अनिवार्य बंधपत्रों से संबंधित मामले में एकरूपता की महसूस की गई आवश्यकता, भारत संघ और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनिवार्य सेवा प्रदान करने के संबंध में एक समान नीति बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर जो सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित हैं। [पैरा 41]

हर्ष प्रताप सिसोदिया बनाम। भारत संघ (1999) 2 एससीसी 575: [1999] 1 एससीआर 466; आनंद बीजी बनाम। केरल राज्य। (2001) 6 एससीसी 665: [2001] 2 पूरक। एस. सी. आर. 1; डॉ.

प्रदीप जैन बनाम। भारत संघ। (1984) 3 एससीसी 654: [1984] 3 एस. सी. आर. 942; राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य [1955] 2 एस. सी. आर. 225; भीष्मबर दयाल चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1982) 1 एस. सी. सी. 39 [1982] 1

एस. सी. आर. 113; डॉ. विनोद शंकरलाल शर्मा और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्र। (2013) AIR Bom.1; पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स v.

भारत सरकार (1982) 3 एस. सी. सी. 235 [1983] 1 एस. सी. आर. 456;

च. टीकारामजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1966 एस. सी. 676 ; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (2016) 7 एससीसी 353;

एसो पेट्रोलियम बनाम। हार्पर गैराज (स्टोरपोर्ट) Ltd.1967

1 सभी ई. आर. 699-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 1 एससीआर 466

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2001] 2 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1984] 3 एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1955] 2 एससीआर 225

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 113

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2016] 11 एससीआर 476

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

(2013) एयर बॉम। 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1983] 1 एससीआर 456

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

पैरा 9

ए. आई. आर 1966 एस. सी. 676

संदर्भित किया गया है

(2016) 7 एस. सी. सी. 353

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1996] 2 पूरक। एससीआर 331

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[1998] 1 एससीआर 1120

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2018] 7 एससीआर 939

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[1964] एससीआर 332

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1987] 2 एससीआर 468

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2017] 10 एससीआर 569

पीछा किया।

पै

रा 21

[1981] 2 एससीआर 185

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[1996] 10 पूरक। एससीआर 279

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1981] 2 एससीआर 516

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1998] 1 पूरक। एससीआर 723

उस पर भरोसा करें

पैरा 31-मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत का संघ

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय: 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 376

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2018 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 946, सिविल अपील सं. 6379 , 6380 , 6381 , 6382 , 6383-6385 , 6386 2019 से। बालाज श्रीनिवासन, ए. ए. जी., हुज़ेफा अहमदी, प्रशांतो चंद्र सेन, डॉ. मनीष सिंघवी, के. एम. नटराज, राकेश द्विवेदी। श्री एड. , तनवीर

नायर, प्रशांत सिंह, रोहन शर्मा, प्रफुल्ल सिन्हा, कृष्णमोहन के. मेनन, सुश्री दानिया नैय्यर, सरीम नावेद, कौस्तुभ सिंह, आतिफ इनाम, हर्ष पाराशर, अंकित गोयल, सुश्री राधिका गौतम, कुणाल चीमा, मिलिंद कुमार, राजन कुमार चुरसिया, संजय कुमार त्यागी, सुश्री रेखा पांडे, जी. एस. मक्कर, ए. के. शर्मा, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, के. वी. रामकुमार, सुश्री जसवंती, अरविंद कुमार शर्मा, गौरव शर्मा, एम/एस। पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी, शिशिर देशपांडे, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री रुचिरा गुप्ता,

साल्वाडोर संतोष रेबेलो, अनुराग शर्मा, शिरिर देशपांडे, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, अभिनव मुखर्जी, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुश्री बिहू शर्मा, सुहान मुखर्जी,

सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री संसृति पाठक, सुश्री काजल दलाल, अमित वर्मा, प्रस्तू दलवी, सुश्री डिंपल नागपाल, श्रीजिन चौधरी, संदीप, राजा चटर्जी, के. आर. चंचल। गंगुली, पीयूष सचदेव, सुश्री रुनामोनी भुइयां, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, प्रसन्ना मोहन, सुश्री रुचि कोहली, शिबाशीष मिश्रा, आशीष कुमार सिन्हा, चंदन कुमार मंडल, सुश्री अदिति पारखी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. इन मामलों में विवाद स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निष्पादित किए जाने वाले अनिवार्य बंधपत्रों से संबंधित है और विशेष पाठ्यक्रम। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स ने 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.376 दायर की है, जिसमें अनिवार्य बॉन्ड शर्तों को रद्द करने के लिए अनिवार्य रिट की मांग की गई है।

आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में लागू किया गया,

गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, [2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल क्रमशः। संबंधित विशिष्टता पाठ्यक्रमों के पूरा होने के बाद संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा रखे गए मूल अंक-पत्र, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को वापस करने के लिए एक और निर्देश मांगा गया है।

2. 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.946 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.06.2014 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रत्येक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु को डॉक्टरेट/एम. डी./एम. एस. पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद तीन साल की अवधि के लिए और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करने के लिए एक क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था। यदि प्रशिक्षु ऊपर उल्लिखित राज्य सरकार की सेवा करने में विफल रहते हैं, तो वे प्रत्येक चूक करने वाले वर्ष के लिए राज्य सरकार को 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। याचिकाकर्ताओं की मांग

दिनांकित 10.06.2014 अधिसूचना द्वारा परिकल्पित Rs.30 लाख के भुगतान पर जोर दिए बिना मूल दस्तावेजों को जारी करना। 3. पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अनिवार्य बांड के निष्पादन की शर्त को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

कलकत्ता। उच्च न्यायालय में आई. डी. 1 दिनांकित अधिसूचना में अपीलकर्ता-डॉक्टरों को पश्चिम बंगाल में राज्य चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अपनी स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल के बहु-विशेषता/अति-विशेषता अस्पतालों, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों में काम करने की आवश्यकता थी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय बांड का निष्पादन, यह प्रावधान करते हुए कि वे पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करेंगे, जिसमें विफल रहने पर वे राज्य सरकार को 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, अनिवार्य कर दिया गया था। दिनांकित अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करना

31.07.2013 , पश्चिम बंगाल सरकार ने 10.06.2014 पर एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा एक साल की सेवा से संबंधित शर्त को बढ़ाकर दो साल कर दिया गया। विफलता के मामले में मुआवजा राज्य में सेवा करने के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई। 30 लाख। 139 डॉक्टर जिन्होंने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की है

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शल्य चिकित्सा ने उपरोक्त अधिसूचनाओं को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 03.11.2017 के एक निर्णय द्वारा मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स v के संगठन को बरकरार रखा।

भारत संघ [एन. नागेश्वर राव, जे.]

अधिसूचना दिनांक 31.07.2013। हालाँकि, दिनांकित 10.09.2014 अधिसूचना को मनमाना और अनुचित माना गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर पश्चिम बंगाल राज्य ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की। कुछ रिट याचिकाकर्ता जो फैसले से व्यथित थे क्योंकि यह दिनांकित अधिसूचना 31.07.2013 को बरकरार रखने से संबंधित था, उन्होंने भी अपील दायर की। के द्वारा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने विवादित फैसले में कहा कि 31.07.2013 और 10.09.2014 दिनांकित दोनों अधिसूचनाएं न तो अनुचित हैं और न ही मनमाना हैं। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि यह अधिसूचना से संबंधित है

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारियों के रूप में पांच साल की अवधि के लिए सेवा करने के लिए बांड स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। पाँच साल तक सेवा करने में विफल रहने की स्थिति में, अपीलकर्ताओं को कॉलेज को Rs.25 लाख के साथ प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त शर्त वर्ष 2014-2015 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विवरणिका में शामिल की गई थी। वर्ष 2014-2015 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अपीलार्थियों द्वारा 2017 में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें सूचना बुलेटिन के खंड 12 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें पांच साल तक सेवा करने की आवश्यकता थी।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएँ। उन्होंने अनिवार्य सेवा शर्त पर जोर दिए बिना अपने मूल दस्तावेजों को वापस करने के लिए आगे निर्देश की मांग की। रिट याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने खर्च के साथ 02.04.2019 के फैसले से खारिज कर दिया था।

प्रति याचिकाकर्ता 1 लाख रुपये निर्धारित। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, 2019 की एसएलपी Nos.10007 और 2387 दायर की गई हैं। 5. हम उच्च न्यायालयों के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

कलकत्ता उच्च न्यायालय:

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ दिनांकित दो अधिसूचनाओं 31.07.2013 और 10.09.2014 से संबंधित थी।

[2019] 12 एस. सी. आर. पद में प्रवेश के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में अनिवार्य सेवा की शर्त लागू करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम। अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी में प्रवेश के हकदार बन गए हैं अखिल भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (ए. आई. पी. जी. एम. ई. ई.) में उनकी योग्यता के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम। उनके अनुसार, अतिरिक्त पात्रता

अखिल भारतीय कोटा उम्मीदवारों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा शर्तें लागू नहीं की जा सकती हैं। अनिवार्य सेवा की शर्त को लागू करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। किसी भी मामले में, अनिवार्य बॉन्ड की शुरुआत केवल कानून के माध्यम से हो सकती है न कि कार्यकारी आदेश द्वारा। उन्होंने हर्ष प्रताप सिसोदिया बनाम मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया। भारत संघ 1 अतिरिक्त पात्रता मानदंड निर्धारित करने में राज्य पर प्रतिबंध से संबंधित उनकी प्रस्तुति को समर्थन देना। इस संबंध में, उन्होंने आनंद बीजी बनाम में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर भरोसा किया। की स्थिति

केरल। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य में अनिवार्य रूप से सेवा करने की शर्त के आग्रह के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा आरक्षण दिया जाएगा, जो डॉ. प्रदीप जैन बनाम में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत होगा। भारत संघ। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा निष्पादित सेवा बांड भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 के खिलाफ हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को भी असंवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार के पास ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने की क्षमता नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी मामले भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के दायरे में आते हैं। चूंकि इस क्षेत्र पर पहले से ही एक केंद्रीय विधान का कब्जा था, इसलिए राज्य सरकार के पास उसी विषय पर कानून बनाने की क्षमता नहीं है। विधायी क्षमता की कमी को देखते हुए, राज्य सरकार के पास अनिवार्य बांडों के संबंध में कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है।

पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह था

यदि क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया था तो कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार की क्षमता के भीतर। राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। पंजाब राज्य 1 और भीशंबर दयाल चंदर मोहन बनाम। समर्थन में 'उत्तर प्रदेश राज्य' का उल्लेख किया गया

1 (1999) 2 एस. सी. सी. 575

2 (2001) 6 एस. सी. सी. 665

3 (1984) 3 एससीसी 654

4 (1955) 2 एससीआर 225

$ (1982) 1 एस. सी. सी. 39 एस. एस. सी. सी. 39 एस. एस. सी. सी. सी

डिवीजन बेंच ने राज्य के पक्ष में पहले मुद्दे का जवाब देते हुए कहा कि अनुच्छेद 166 (1) और (2) के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है।

अधिसूचना जारी होने से पहले अनुपालन किया गया। डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं अपीलार्थियों की किसी भी पेशे का अभ्यास करने या रखने की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा गारंटीकृत किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय पर। संविधान के अनुच्छेद 162 में कहा गया है -

राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार और वह शक्ति [2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह केवल उन मामलों तक ही सीमित नहीं है जिन पर कानून पहले ही पारित किया जा चुका है। डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को किसी भी कानून के अभाव के कारण मौजूद रिक्तता को भरने का अधिकार है और जिसे परिपत्रों/अधिसूचनाओं के रूप में कार्यकारी निर्देशों द्वारा भरा जा सकता है। डिवीजन बेंच की राय थी

कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, विशेष रूप से उन सरकारी कॉलेजों में जहां उच्च शिक्षा पर सब्सिडी दी जाती है। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की कि जिन अपीलार्थियों ने अत्यधिक रियायती दर पर शिक्षा प्राप्त करने का एक सूचित निर्णय लेने के बाद स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया है, उन्हें अनिवार्य चिकित्सा सेवा बांड पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में

अतिरिक्त पात्रता मानदंड लागू करने में राज्य सरकारों की अक्षमता को खंड पीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि हर्ष प्रताप सिसोदिया (ऊपर) और आनंद बीजी (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं थे। डिवीजन बेंच ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रधानता से संबंधित बिंदु पर जोर दिया जब यह निजी हित के साथ टकराव में आता है। यह सैयद रतनभाई सईद (डी) थर के मामले में इस अदालत के एक फैसले पर निर्भर था। एल. आर. और ओ. आर. वी. शिरडी नगर पंचायत और अन्र. का मानना है कि लोक हित की धारणा लोगों और सार्वजनिक संस्थानों के सामूहिक कल्याण का पर्याय है, और आम तौर पर लोक विश्वास सिद्धांत-रेस कम्युनिस (यानी हर कोई सामान्य है) के आदेशों द्वारा सूचित किया जाता है। डिवीजन बेंच ने अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए इस बिंदु को खारिज कर दिया कि अनिवार्य बांड अनुबंध अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन कर रहे थे। यह माना गया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम और सेवा बांड एक पैकेज थे। खंड पीठ ने डॉ. विनोद शंकरलाल शर्मा और अन्य मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मांगा। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्र '। सेवा बंधपत्र अधिरोपित करने वाले सरकारी प्रस्तावों की संवैधानिकता को बनाए रखना। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, डिवीजन बेंच ने 31.07.2013 दिनांकित अधिसूचनाओं को बरकरार रखा और

10.09.2014 .

कर्नाटक उच्च न्यायालयः

कर्नाटक सरकार ने जोर देकर कहा कि जिन अपीलार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें एक वर्ष के लिए सरकार की सेवा करनी चाहिए। उप-नियम

6 (2016) 4 एस. सी. सी. 631

2013 एयर बम।

1 मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

(7) कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1984 की धारा 14 (1) के तहत बनाए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम नियम, 2006 में चयन और प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का संचालन करना, स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा छात्रों के लिए अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर सरकार की सेवा करने में विफल रहने पर क्रमशः 1 लाख और 2 लाख का जुर्माना लगाता है। सभी रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रवेश के समय दायित्व बांड को निष्पादित किया। अपने पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, उन्होंने कई आधारों पर बांड पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। संविधान के अनुच्छेद 23 और अन्य मौलिक अधिकारों के जबरदस्ती और उल्लंघन द्वारा उपक्रम को दूषित करने के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उनके खिलाफ जवाब दिया गया है। अपीलार्थियों का यह निवेदन कि उन्हें बांड दायित्वों से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें अखिल भारतीय कोटा से भर्ती किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।

केरल उच्च न्यायालयः

केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अनिवार्य बॉन्ड से संबंधित मुद्दे पर विचार किया और कहा कि मेडिकल छात्रों पर पेशे का अभ्यास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रतिबंध केवल एक वर्ष के लिए अभ्यास के स्थान के उनके चयन के संबंध में था। व्यापार या पेशे से प्रतिबंध और सार्वजनिक नीति से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश शेषाद्री नायडू ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि जिन अपीलार्थियों को रियायती चिकित्सा शिक्षा से लाभ हुआ है, उन्हें अपना ऋण/कृतज्ञता चुकानी चाहिए।

बॉम्बे में उच्च न्यायालयः सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के छात्रों द्वारा दायर लिखित याचिकाएँ

बॉम्बे में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा विचार किया गया था। एक शर्त का अधिरोपण कि अपीलकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सेवा करनी चाहिए उन्हें जुर्माना देना पड़ता है जो न तो मनमाना पाया गया और न ही अनुचित। डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) की दृढ़ राय थी कि डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले का, जो अधिवास की स्थिति के आधार पर आरक्षण से संबंधित था, सेवा बांड से कोई संबंध नहीं था। बम्बई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक अपीलार्थी को एक वर्ष के लिए सेवा करने की आवश्यकता वाला अनिवार्य बंधपत्र भी असमानुपाती नहीं है। उक्त निर्णय में यह देखा गया कि राज्य का [2019] 12 एस. सी. आर. सुनिश्चित करने में वैध हित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन छात्रों को इसके द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे से लाभ हुआ है, उन्हें चाहिए

सार्वजनिक सेवा द्वारा समुदाय को वापस योगदान दें। डिवीजन बेंच ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों को पंजीयक और वरिष्ठ निवासियों के रूप में तैनात किया जा रहा है। सरकार द्वारा स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता की जांच करने के बाद, खंड पीठ ने एक निर्देश दिया कि

उन्हें उन पदों पर आवंटित किया जाना चाहिए जो उनकी योग्यता के अनुरूप हों।

गुजरात उच्च न्यायालय:

गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुसार डॉक्टरों द्वारा जबरदस्ती का परिणाम था, जिन्होंने बांड समझौते को अनुचित और अनुचित घोषित किया था। इसलिए, बांड समझौता सार्वजनिक नीति का विरोध करता था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था। हमें गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई है जो गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

दलीलें

6. उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, यह हमारे सामने की गई दलीलों पर विचार करने का समय है। 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.376 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रशांत चंद्र सेन ने तर्क दिया कि जिन डॉक्टरों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम पूरा कर लिए हैं, वे राष्ट्रीय संपत्ति हैं। उनकी सेवाओं का सर्वोत्तम संभव उपयोग किया जाना चाहिए।

जिन स्थानों पर सुविधाएं हैं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों में उनकी उपस्थिति उन्हें अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करने के अलावा समाज के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बॉन्ड की प्रकृति में अतिरिक्त शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं जो भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमों द्वारा निर्धारित संतुलन को बाधित करेंगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें कठिन हैं और उन्होंने हमारी स्वीकृति के लिए सराहना की कि एक उचित निकास खंड मौजूद होना चाहिए।

7. श्री कृष्णमोहन मेनन, 2019 के एस. एल. पी. (सिविल) No.2387,2010 के एस. एल. पी. (सी) No.10 और एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स v. में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

एसएलपी (सी) Dy.No। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न अपीलों में 2019 की 19100 ने अधिसूचनाओं पर सवाल उठाया

असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने आग्रह किया कि अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर "कानून" का गठन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यापार और पेशे को जारी रखने की स्वतंत्रता है, जिसे आम जनता के हित में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध उचित होना चाहिए। उनके अनुसार, अधिसूचनाओं द्वारा लगाए गए बंधन तर्कसंगतता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं और इन विशेषज्ञों के कौशल का उपयोग नहीं करने से सरकार समाज का अहित कर रही होगी। उन्होंने उन उदाहरणों का उल्लेख किया जिनमें हृदय रोग, पैथोलॉजी और बाल रोग के विशेषज्ञों को प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपीलार्थियों के लिए शैक्षणिक जीवन और व्यक्तिगत प्रोत्साहन को जनहित के साथ संतुलित करने की आवश्यकता के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांड की शर्तों को लागू करने में मनमानेपन की भी शिकायत की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी से पीड़ित अधिसूचनाओं के मुद्दे पर चर्चा की।

8. श्री हुज़ेफा अहमदी, 2019 के एसएलपी (सी) No.10007 से उत्पन्न अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील

उन्होंने तर्क दिया कि सेना में अनिवार्य सेवा प्रदान करने के लिए लगाई गई शर्त संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 23 (1) का उल्लंघन है। अनिवार्य बंधन की धारा 27 का उल्लंघन है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 द्वारा वर्जित होने के अलावा। श्री अहमदी के अनुसार, पाँच साल के लिए सेना में अनिवार्य सेवा का आग्रह 'जबरन श्रम' है।

यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स v. उक्त प्रस्ताव के समर्थन में भारत संघ 3 का उल्लेख किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 23 (2) अनुच्छेद 23 (1) का अपवाद है। अनुच्छेद 23 (2) के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य रोजगार को केवल कानून के माध्यम से पेश किया जा सकता है, न कि केवल कार्यकारी निर्देश द्वारा। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख करते हुए, श्री अहमदी ने प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध लागू करने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी सराहना की कि एक उचित निकास खंड होना चाहिए। सुश्री. 8 (1982) 3 एससीसी 235 [2019] 12 एस. सी. आर.

2019 के एस. एल. पी. (सी) सं. 15688 से उत्पन्न अपील में श्री अहमदी द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार किया गया और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अपीलार्थियों से लिए गए मूल दस्तावेजों को जारी करने की मांग की गई ताकि वे सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श में भाग ले सकें। 9. पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि राज्य की कार्यकारी शक्ति

सरकार कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति के लिए सह-व्यापक है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत आती है। श्री द्विवेदी ने कहा कि राज्य

दाखिले में सरकार की भूमिका तब तक होती है जब तक कि इस क्षेत्र पर पूरी तरह से केंद्रीय कानून का कब्जा न हो। इस निवेदन के समर्थन में कि राज्य के पास हमेशा एक क़ानून के प्रावधानों को पूरक करने और प्रतिस्थापित नहीं करने की शक्ति है, उन्होंने Ch पर भरोसा किया। टीकारामजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम। मध्य राज्य प्रदेश। 1 0 10 श्री द्विवेदी के अनुसार, अनिवार्य बॉन्ड से संबंधित विषय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का विषय नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि स्वास्थ्य के अधिकार को आगे बढ़ाने में, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के तहत आता है, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने पश्चिम बंगा में इस न्यायालय के फैसलों का समर्थन मांगा।

खेत मजदूर समिति बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ", पंजाब राज्य बनाम। राम लुभाया बग्गा 1 2 और भारत संघ बनाम। मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट। 13

श्री द्विवेदी ने आग्रह किया कि जिस स्रोत से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशलिटी के लिए डॉक्टरों का चयन किया जाता है

पाठ्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर अनिवार्य बांड की वैधता तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। कोई विशेष दर्जा नहीं हो सकता

उन डॉक्टरों को सौंपा जाएगा जो अखिल भारतीय कोटा के लिए आवंटित सीटों में भर्ती हैं क्योंकि वे अपने कॉलेजों में प्रवेश के बाद अपने जन्म चिन्ह खो देते हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कोटा के छात्रों को एक अलग वर्ग के रूप में मानने से राज्य कोटा के छात्रों के खिलाफ अनुचित वर्गीकरण और शत्रुतापूर्ण भेदभाव हो सकता है। श्री द्विवेदी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की नीति न तो मनमाना है और न ही अनुचित है। उन्होंने प्रस्तुत किया 9 9 आकाशवाणी 1966 एससी 676।

10 ° (2016) 7 एस. सी. सी. 353

1 1 (1996) 4 एस. सी. सी. 37 9 और 16 12 (1998) 4 एस. सी. सी. 117 26,27 और 35 1 3 (2018) 8 एस. सी. सी. 321 एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स v.

भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक डॉक्टर पर Rs.23,93,784/- की राशि खर्च की जाती है और इसलिए प्रत्येक चूक करने वाले वर्ष के लिए Rs.10 लाख के जुर्माने की आवश्यकता न तो अत्यधिक है और न ही असमान है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। के उल्लंघन की प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान

संविधान के अनुच्छेद 23 (1) में उन्होंने कहा कि

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 (1) (बी) से संबंधित मुद्दा हमारे विचार के लिए नहीं आता है क्योंकि राज्य सरकारें इसकी मांग नहीं कर रही हैं प्रवर्तन की विशिष्ट राहत। उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा बॉन्ड स्नातकोत्तर स्तर पर अत्यधिक सब्सिडी वाली चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिन्न पैकेज का एक हिस्सा है और अनिवार्य सेवा बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों को बनाए रखना अनुमत है।

10. गोवा राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आत्माराम नाडकर्णी ने गोवा राज्य में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों पर खर्च की गई राशि के बारे में जानकारी प्रदान की। गोवा राज्य विशेषज्ञता के लिए प्रति वर्ष एक छात्र के लिए Rs.50 लाख की राशि खर्च करता है। प्रत्येक छात्र से शुल्क की राशि Rs.77,500/- ली जाती है। सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों से गुजर रहे छात्र

रुपये का मासिक वजीफा दिया जाता है। 86,927 / - पहले वर्ष के लिए, रु। 89,495 / - दूसरे वर्ष के लिए और रु। 92,191 / - तीसरे वर्ष के लिए। अत्यधिक सब्सिडी वाली चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और राज्य को थोड़े समय के लिए राज्य की सेवा करने वाले डॉक्टरों पर जोर देने का वैध अधिकार है। गोवा राज्य में बॉन्ड की शर्त यह है कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को राज्य में तीन साल तक सेवा करनी चाहिए, जिसकी चूक में वे Rs.10 लाख का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने जनहित में राज्य सरकार की नीति का समर्थन किया। 1 4 विश्व स्वास्थ्य संगठन (2010)। बेहतर प्रतिधारण के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंच बढ़ाना। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. श्री के. एम. नटराज, भारत संघ और सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमसे अनुरोध किया कि

बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना क्योंकि जिन अपीलार्थियों को बंधपत्र निष्पादित करने के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया था, उन्हें पाठ्यक्रम पूरा होने पर अनिवार्य बंधपत्र की आवश्यकता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि सेना में अनिवार्य सेवा की आवश्यकता जनहित में है। उन्होंने आगे कहा कि हर्ष प्रताप सिसोदिया (ऊपर) में निर्णय और आनंद एस. बीजी (ऊपर) में पारित आदेश बांड की शर्तों से संबंधित नहीं थे और अपीलकर्ताओं द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पांच साल के लिए बांड की आवश्यकता किसी भी छूट के योग्य नहीं है।

12. राजस्थान राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि कार्यकारी निर्देश और

अनिवार्य बांड की आवश्यकता वाली सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। लेकिन, चूंकि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी निधि के लाभार्थी एक अलग वर्ग बनाते हैं और राज्य सरकार को प्रवेश के लिए शर्तें लगाने की अनुमति है सरकारी कॉलेजों में।

13. गुजरात राज्य की ओर से पेश वकील सुश्री दीपानविता प्रियंका ने कहा कि राज्य में छह कॉलेज हैं। गुजरात सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। कुल 122 सीटें हैं जिनमें से 76 सीटें सरकारी कॉलेजों में और 46 सीटें निजी कॉलेजों में हैं। Rs.40,000/- का नाममात्र शुल्क लिया जाता है।

उन डॉक्टरों से जिन्हें रुपये का वजीफा दिया जाता है। 72,000 / - , उनके प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः Rs.75,000/- और Rs.80,000/- प्रति माह। सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभागों में बड़ी संख्या में रोगियों को देखते हुए गुजरात राज्य में सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की भारी मांग है। रोगियों की स्वास्थ्य आवश्यकता और सुपर विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए, राज्य सरकार ने अनिवार्य बांड शुरू करने का निर्णय लिया। सुपर स्पेशलिस्टों को केवल सरकार द्वारा संचालित चार सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में तैनात किया जाता है।

मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

राज्य में डॉक्टर और सरकार का बॉन्ड प्रणाली शुरू करने का निर्णय जनहित में है। 15. तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 334 सुपर स्पेशियलिटी सीटें हैं। सरकार सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों से गुजर रहे डॉक्टरों से केवल Rs.30,000/- प्रति वर्ष शुल्क ले रही है। एक राशि

Rs.21 सरकार द्वारा प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र पर लाखों खर्च किए जाते हैं। इससे पहले, बॉन्ड के लिए सुपर विशेषज्ञों को राज्य में 10 साल तक सेवा करने और चूक में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता होती थी। राज्य ने नीति की समीक्षा की और बांड राशि को घटाकर Rs.50 लाख कर दिया। सुपर स्पेशलिटी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि पाठ्यक्रम को दस साल से घटाकर दो साल कर दिया गया है। यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि लगभग 217 उम्मीदवारों ने बांड की शर्तों का उल्लंघन किया है।

विश्लेषण:

16. जिन मुख्य बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है वे हैं:

I. राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र, II. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन,

III. व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध, और

IV. पेशे पर प्रतिबंध।

राज्य सरकार का I.Jurisdiction:

17. संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण को संदर्भित करती है। शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान। 7वीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा से संबंधित है, जो सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम [2019] 12 एस. सी. आर. को नियंत्रित करता है।

इस देश में चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र। मान लीजिए, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में इस विषय पर कोई प्रावधान नहीं है -

अनिवार्य बंधन। इसलिए, राज्य चिकित्सा बॉन्ड के विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। किसी भी कानून के अभाव में भी, राज्य सरकार के पास उन मामलों पर संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी आदेश जारी करने की क्षमता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाएँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अनिवार्य बॉन्ड के निष्पादन की शर्त को अधिकार या क्षमता की कमी के कारण दूषित नहीं कहा जा सकता है। मैदान।

अनिवार्य रोजगार की आवश्यकता वाले बॉन्ड किसी भी केंद्रीय कानून के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि राज्यों में अधिसूचना जारी करने की क्षमता की कमी है क्योंकि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, खारिज कर दिए जाते हैं।

II. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

अनुच्छेद 14:

A. मनमानेपन

18. राज्य सरकारों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश के लिए शर्तें लगाने के निर्णय से अपीलार्थी व्यथित हैं। उनके अनुसार, राज्य सरकारों ने हर्ष प्रताप सिसोदिया (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय को चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित मामलों में अपनी शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध के रूप में समझा है। हर्ष प्रताप सिसोदिया (उपरोक्त) मामले में फैसले के 15 साल बाद अचानक अनिवार्य बॉन्ड की शुरुआत राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम है जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा मनमाना करार दिया गया है। यह हर्ष प्रताप सिसोदिया (उपरोक्त) मामले में अदालत राज्य सरकारों द्वारा 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा छात्रों के लिए शुरू किए जा रहे अतिरिक्त पात्रता मानदंडों से चिंतित थी। राज्य सरकारों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और सुपर स्पेशलिटी में प्रवेश के लिए अनिवार्य बॉन्ड की शर्त लगाने का निर्णय प्रासंगिक आधार पर लिया गया है।

सामग्री। स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों वाले मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए विशाल बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव करना होगा। मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स के समाज की तुलना में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की राशि बहुत कम है।

भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

निजी मेडिकल कॉलेजों में। डॉक्टरों को उचित वजीफा देना पड़ता है। इन सबसे ऊपर, राज्य सरकारों ने लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता और सुपर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखा है

अपने राज्यों में विशेषज्ञ। नतीजतन, राज्य सरकारों द्वारा डॉक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए लिया गया एक नीतिगत निर्णय

अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकारी सहायता के लाभार्थियों को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

B. तर्कसंगतता

19. तर्कसंगतता एक ऐसा आधार है जो इसके माध्यम से व्याप्त है

दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुतियाँ। पश्चिम बंगाल राज्य में, एक अनिवार्य बांड की आवश्यकता शुरू में राज्य में एक वर्ष की सेवा थी जो रुपये की चूक में थी। 10 लाखों का भुगतान किया जाना था। दिनांकित अधिसूचना द्वारा इसे बढ़ाकर तीन वर्ष और Rs.30 लाख कर दिया गया था। 09.10.2014 . तमिलनाडु राज्य में बांड की शर्त यह थी कि एक डॉक्टर को राज्य में दस साल तक सेवा करनी होती है और ऐसा न करने पर डॉक्टर को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इसे घटाकर दो साल कर दिया गया और

Rs.50 लाख। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज उन स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों के लिए सेना में पांच साल की अनिवार्य सेवा की शर्त लगाता है जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई का अभियोजन करते हैं। उनके पास पांच साल तक सेवा नहीं करने का विकल्प है। Rs.25 लाख का भुगतान करके सरकार। अपीलार्थियों की ओर से पेश वकील का मुख्य तर्क यह है कि लंबी अवधि की सेवा की जो शर्त लगाई गई है, वह अनुचित है। प्रस्तुतिकरण का आधार यह है कि वे पहले से ही अपनी पढ़ाई के दौरान सरकारी अस्पतालों में काम करके समाज की सेवा कर चुके हैं। उन पर लगाई गई आगे की शर्तें उनके करियर की प्रगति में बाधा डालेंगी। उनके अनुसार कार्यस्थल के चयन पर लगाए गए प्रतिबंध भी अनुचित हैं। अपीलार्थियों की ओर से पेश वकील द्वारा किया गया एक वैकल्पिक निवेदन यह है कि अनिवार्य बांड की शर्त लागू की जाए।

उचित होना चाहिए और निकास खंड में ढील दी जानी चाहिए। अनिवार्य की शर्त लगाते हुए राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाएँ

सेवा और एक डिफ़ॉल्ट खंड अपने आप में अनुचित नहीं हैं। हालाँकि, हम डॉक्टरों के विद्वान वकील से सहमत हैं कि अनिवार्य सेवा और बाहर निकलने की अवधि उचित होनी चाहिए। राज्य सरकारों और सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे दो साल की अनिवार्य सेवा अवधि की शर्त लागू करने पर विचार करें, जिसमें चूक करने पर डॉक्टर सरकार को 5 लाख रुपये का भुगतान करेंगे। 20 लाख।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 19:

20. अपीलार्थियों के अनुसार, उन्हें जारी रखने का अधिकार

अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा गारंटीकृत पेशे का अनिवार्य बंधपत्रों द्वारा उल्लंघन किया जाता है। उनका तर्क है कि अनिवार्य बांड अपने पाठ्यक्रम के पूरा होने पर अपने पेशे को जारी रखने के उनके अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अपने पेशे को जारी रखने के उनके अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अनुसार केवल "कानून" द्वारा ही लगाया जा सकता है। नतीजतन, राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ गलत साबित होती हैं - अनुच्छेद 19 (1) (छ)। अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित अनिवार्य बॉन्ड स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी में उनके प्रवेश के समय होता है।

पाठ्यक्रम। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए लगाई गई शर्तें किसी व्यक्ति के अपने पेशे को जारी रखने के अधिकार का सीधे उल्लंघन नहीं करेंगी। पेशे को जारी रखने का अधिकार इसके पूरा होने पर शुरू होगा बेशक। शुरुआत में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति में कोई अधिकार नहीं है

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कॉलेज में प्रवेश से संबंधित मामले में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शर्त लगाई गई है, उसका संबंध पाठ्यक्रम पूरा करने पर डॉक्टर की पेशेवर गतिविधि से है। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने बिना किसी विरोध के प्रवेश स्वीकार कर लिया है और अनिवार्य बांड को निष्पादित किया है। बॉन्ड का निष्पादन एक समग्र पैकेज का हिस्सा है। हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस फैसले से सहमत हैं कि अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने के लिए अधिसूचनाओं पर हमला करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। हम डिवीजन बेंच के उक्त निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं।

अनुच्छेद 21

21. अपीलार्थियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अनिवार्य बंधपत्रों द्वारा उनकी स्वतंत्रता में कटौती की गई है। का दायरा

इस न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई स्वतंत्रता में उनके पेशे से संबंधित निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत स्वायत्तता शामिल है। यह तर्क दिया गया था कि सरकार के साथ एक निश्चित अवधि के लिए अनिवार्य रूप से काम करने की शर्त उनकी स्वतंत्रता को खराब करती है, जिससे उनके काम करने के अधिकार पर असर पड़ता है। जीवन। उन्होंने खड़क सिंह बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य और के. एस. पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ 1 इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए। सैयद में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख करते हुए

15 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1295

6 (2017) 10 एस. सी. सी. 1 मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स और रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

रतनभाई सईद (ऊपर), उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निजी अधिकार, जब जनहित के साथ टकराव में होते हैं, तो उन्हें पीछे हटना पड़ता है। उच्च न्यायालय ने यह भी याद किया कि मार्कस टुलियस सिसरो ने देश की भलाई के बारे में क्या कहा था। लोग मुख्य कानून हैं।

22. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक दायित्व अधिरोपित करता है -

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य। अतः मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल और उनमें कार्यरत चिकित्सा अधिकारी मानव जीवन के संरक्षण के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सरकारी अस्पताल की ओर से ऐसे उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके अधिकार का उल्लंघन होता है। 1 7 17 इसलिए, एक कल्याणकारी राज्य में यह राज्य का दायित्व है कि वह निर्माण और विकास सुनिश्चित करे।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थितियों को बनाए रखना।

23. संविधान का अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य पर लगाए गए संवैधानिक दायित्व को दोहराता है। निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

" 47. राज्य अपने लोगों के पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सुधार पर विचार करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक के रूप में और, विशेष रूप से, राज्य का निषेध लाने का प्रयास करेगा

मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर सेवन।

24. अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम। भारत संघ "यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का रखरखाव और सुधार इन्हें उच्च श्रेणी में रखना होगा क्योंकि ये समुदाय के भौतिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं और इनकी बेहतरी उस समाज के निर्माण पर निर्भर करती है जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उपरोक्त निर्णय में आगे यह देखा गया कि इसलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उच्च प्राथमिकता है-शायद शीर्ष पर।

1 7 पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. (1996) 4 एस. सी. सी. 37 18 विंसेंट पनिकुरलंगारा बनाम। भारत संघ (1987) 2 एससीसी 165 1 9 (1981) 1 एससीसी 246 [2019] 12 एस. सी. आर.

प्रतीक्षा सूचियों की कतार को कम करने के लिए, और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और प्रभावी योगदान देने के लिए अपने प्रशासन को मजबूत करना होगा, जो सरकार का कर्तव्य भी है।

26. स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। मौलिक

जीवन का अधिकार जो सबसे मूल्यवान मानव अधिकार है और जो अन्य सभी अधिकारों का संदूक है, इसलिए इसकी व्याख्या एक व्यापक और व्यापक भावना से की जानी चाहिए ताकि इसे महत्व और जीवन शक्ति के साथ निवेश किया जा सके जो आने वाले वर्षों तक कायम रह सके और व्यक्ति और समाज की गरिमा को बढ़ा सके।

मनुष्य का मूल्य। अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार

इसे केवल पशु अस्तित्व तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब केवल शारीरिक रूप से जीवित रहने से कहीं अधिक है। जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसके साथ आने वाली सभी चीजें शामिल हैं, जैसे कि पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय, और पढ़ने, लिखने और विभिन्न रूपों में खुद को व्यक्त करने की सुविधाएं, स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने और साथी मनुष्यों के साथ मिलने-जुलने की सुविधा। प्रत्येक कार्य जो मानव गरिमा को आहत करता है या बाधित करता है, वह जीने के इस अधिकार से वंचित करेगा और प्रतिबंध कानून द्वारा स्थापित उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए जो अन्य मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरता है।

27. जीना सम्मान के साथ जीना है। संविधान के मसौदा तैयार करने वालों ने समाज के बारे में अपने दृष्टिकोण को परिभाषित किया जिसमें संवैधानिक मूल्य

28. राज्य के दायित्वों को केवल मानव गरिमा के अधिकार पर सीमाएं लगाने से बचना चाहिए। राज्य को मानव गरिमा की रक्षा करने और इसे साकार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य मनुष्यों को सुनिश्चित करना है ' राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताएँ।

पंजाब राज्य बनाम। राम लुभाया बग्गा (1998) 4 एससीसी 117

22 फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, (1981) 1 एस. सी. सी. 608 23K.S. पुट्टास्वामी (ऊपर) 24 अहरोन बराक, मानवीय गरिमा क्रिस्टोफर मैकक्रुडेन में संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक अधिकार (संस्करण), मानव गरिमा को समझना, ब्रिटिश अकादमी की कार्यवाही, 192, पीपी। 361-80 पी पर। 367 .

मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

29. डॉ. ए. के. सीकरी। जे. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 25 ने देखा कि प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक मूल्य का अहसास

समाज का एक सदस्य एक अपरिहार्य शर्त है, और इसे एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सच कहें तो यह वंचितों, दलितों और वंचितों की ओर निर्देशित है। उन्होंने आगे कहा कि मानव गरिमा की मानवतावादी अवधारणा जो समाज के उस विशेष वर्ग को दी जानी है, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके लोग। गरिमा उन सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर आधारित है जिन्हें मौलिक अधिकारों में पढ़ा जाता है। मानव गरिमा के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ-साथ सामुदायिक दृष्टिकोण के महत्व को उपरोक्त निर्णय में डॉ. ए. के. सीकरी, जे. द्वारा संबोधित किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने अच्छे जीवन के एक निश्चित विचार की ओर से व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर सामूहिक लक्ष्यों और प्रतिबंधों को स्थापित करने में राज्य और समुदाय की भूमिका पर जोर दिया।

30. हम पश्चिम बंगाल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी के इस निवेदन को स्वीकार करते हैं कि सकारात्मक दायित्व

सरकार। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार जरूरतमंद लोगों तक भी किया जाए। 31. अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या समुदाय के अधिकारों और अपीलार्थियों के अधिकारों के बीच कोई टकराव है।

जैसा कि पहले कहा गया है, अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया अधिकार अपने पेशे को जारी रखने के लिए एक व्यक्तिगत विकल्प चुनना है जो सरकार के निर्णय से बाधित हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार के फैसले के पीछे मूल विचार व्यापक जनहित है। उच्च न्यायालय द्वारा सैयद रतनभाई सईद (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस आशय का है कि सार्वजनिक हित के खिलाफ खड़े होने पर निजी हित को पीछे हटना पड़ता है। श्री एक्स वी. में। अस्पताल 'जेड', 26 सागीर अहमद जे ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि:

44 ..... इसके अलावा, जहां दो मौलिक अधिकारों का टकराव होता है, जैसा कि तत्काल मामले में है, अर्थात्, अपीलार्थी का जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में निजता का अधिकार और सुश्री वाई का नेतृत्व करने का अधिकार

25 के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2019) 10 एस. सी. सी. 1 [आधार 5 जे. बी]। 26 (1998) 8 एससीसी 296 [2019] 12 एस. सी. आर.

स्वस्थ जीवन जो अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है, वह अधिकार जो सार्वजनिक नैतिकता या जनता को आगे बढ़ाएगा। ब्याज, केवल अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाएगा,

इस कारण से कि नैतिक विचारों को दूर नहीं रखा जा सकता है और न्यायाधीशों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे कक्ष में मिट्टी की मूक संरचनाओं के रूप में बैठें, जिसे अदालत कक्ष के रूप में जाना जाता है, लेकिन संवेदनशील होना चाहिए, "इस अर्थ में कि उन्हें अपनी उंगलियों को उस समय की स्वीकृत नैतिकता की नब्ज पर मजबूती से रखना चाहिए"। [जोर दिया गया]।

32. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यू. डी. एच. आर.) ने प्रस्तावना में अंतर्निहित गरिमा और समानता की मान्यता दर्ज की है।

और मानव परिवार के सभी सदस्यों के अपरिहार्य अधिकार स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आई. सी. ई. एस. सी. आर.) प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद लेने के अधिकार को मान्यता देती है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आई. सी. ई. एस. सी. आर. राज्यों के दलों को ऐसी स्थितियों के निर्माण के माध्यम से उपरोक्त अधिकार की पूर्ण प्राप्ति प्राप्त करने का आदेश देता है जो सभी को बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सेवा और चिकित्सा ध्यान का आश्वासन देगी। 33.उपरोक्त चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार का अर्थ है मानव गरिमा के साथ जीवन का अधिकार।

इस न्यायालय द्वारा सामुदायिक गरिमा को मान्यता दी गई है। संतुलन बनाते हुए निजी व्यक्तियों की गरिमा की तुलना में सामुदायिक गरिमा के पक्ष में तराजू झुकना चाहिए। जिस प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ राज्य सरकारों ने अनिवार्य सेवा बांड पेश किए हैं, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समाज के वंचित वर्गों को दिए गए मौलिक अधिकार की रक्षा करना है। अपीलार्थियों का यह तर्क कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन किया गया है, खारिज कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 23

34. अनुच्छेद 23 इस प्रकार है:

23. " (1) मनुष्यों और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।

कानून के साथ।

(2) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के बारे में।

मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स का संगठन v. भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

35. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा अहमदी का निवेदन है कि प्रति बांड की शर्तें -

' जबरन श्रम 'और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 23 (1) का उल्लंघन है। श्री द्विवेदी ने अनुच्छेद 23 का उल्लेख करते हुए उक्त कथन का खुलासा किया (2) जो राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री द्विवेदी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 (2) के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य रोजगार के दायरे को समझाते हुए संविधान सभा की बहसों पर भरोसा जताया था। अपीलार्थी जिनका कम समय के लिए काम करने की आवश्यकता होती है

वजीफा इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि उन्हें 'जबरन श्रम' करने के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से जब अपीलकर्ताओं ने इसका लाभ उठाने के लिए एक सूचित निर्णय लिया है।

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लाभ और अनुदानित शिक्षा प्राप्त करना। किसी भी तरह से, सरकारी अस्पतालों में अपीलार्थियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा 'जबरन श्रम' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी।

36.अमेरिकी संविधान में 13 वां संशोधन गुलामी पर प्रतिबंध लगाता है

और अनैच्छिक दासता। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य रोजगार रॉबर्टसन बनाम में 'अनैच्छिक दासता' के बराबर नहीं है। बाल्डविन 2 7 और बटलर बनाम। पेरी 2 8. संविधान का अनुच्छेद 23 (2) राज्य सरकारों को अपीलकर्ताओं से सरकार में अनिवार्य सेवा करने की अपेक्षा करने में सक्षम बनाता है।

अस्पताल जो निस्संदेह जनता के लाभ के लिए हैं।

III. व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध

37. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करती है। श्री का प्रस्तुतिकरण।

अहमदी ने कहा कि व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध, एक अनिवार्य बांड के रूप में, लागू करने योग्य नहीं है, श्री द्विवेदी द्वारा निपटा गया था, जिन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकारें कानून की अदालत में अनुबंध को लागू करने का इरादा नहीं रखती हैं। यह एक सामान्य कानून है कि अदालतें आम तौर पर व्यक्तिगत चरित्र के अनुबंधों के प्रदर्शन को लागू नहीं करती हैं, जैसे कि रोजगार का अनुबंध। रिग्बी बनाम में जेसल, एम. आर. के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। कोनोल 3 0 जिसमें उन्होंने कहा था कि: 27 165 यू. एस. 275 (1897) [यू. एस. सुप्रीम कोर्ट] 28 (1916), 240 यू. एस. 328,329।

29 नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड रायबरेली एंड अन्र। वी. बद्री नाथ दीक्षित और अन्य। (1991) 3 एससीसी 54

30 (1880) 14 सीएच डी 482,487 [2019] 12 एस. सी. आर.

" अदालतों ने कभी भी समझौतों को सख्ती से लागू करने का सपना नहीं देखा है

अपने स्वभाव में व्यक्तिगत, चाहे वे भर्ती और सेवा के समझौते हों, स्वामी और सेवक का सामान्य संबंध होना

38.व्यक्तिगत सेवा के लिए अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई डिक्री नहीं हो सकती है। किसी भी राज्य सरकार ने सेवा बांड के माध्यम से अपीलार्थियों के साथ किए गए अनुबंधों को लागू करने का प्रयास नहीं किया है। हम श्री अहमदी की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि

अनिवार्य बांड विशिष्ट राहत अधिनियम के उल्लंघन में आते हैं।

IV. पेशे पर प्रतिबंध

39. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि अनिवार्य बांड उनके पेशे पर प्रतिबंध लगाते हैं और इस प्रकार, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 के विपरीत होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए इस निवेदन को खारिज कर दिया कि अनिवार्य बंधपत्र अपीलार्थियों की व्यावसायिक गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं को पश्चिम बंगाल राज्य में चिकित्सा अधिकारी की नौकरी की पेशकश की जाती है और अनिवार्य बांड में वाचा केवल इस तरह के रोजगार की अवधि के दौरान संचालित होती है। एस्सो पेट्रोलियम बनाम में लॉर्ड मॉरिस के कथन पर भरोसा करते हुए। हार्पर्स गैराज (स्टोरपोर्ट) लिमिटेड, 3 1 कि "यदि ए ने एक अनुबंध किया है जिसके तहत वह स्वेच्छा से कुछ के लिए उचित शर्तों पर बी की सेवा करने के लिए सहमत हो गया है।

वर्ष और बी को अपना पूरा काम करने का समय देने के लिए, यह वास्तव में आश्चर्य की बात होगी, अगर अनुबंध को व्यापार के प्रतिबंध के रूप में वर्णित करने की मांग की गई थी; वास्तव में, ऐसा अनुबंध व्यापार की प्रगति के लिए बहुत संभावना होगी ', उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं द्वारा उचित शर्तों के तहत कुछ वर्षों के लिए सरकार की सेवा करने के लिए किए गए अनुबंध को व्यापार के प्रतिबंध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य बॉन्ड की शर्तें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 का उल्लंघन नहीं हैं।

40. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि रिट याचिकाएं और अपील खारिज किए जाने के योग्य हैं। नतीजतन, सभी डॉक्टरों

311967 1 सभी ई. आर. 699।

मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एस्पिरेंट्स और 1045 रेजिडेंट्स का समाज v. भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

निष्पादित अनिवार्य बांड ए शर्तों से बंधे होंगे

उसमें एड।

41. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि कुछ राज्य सरकारों के पास अपीलकर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनिवार्य बांडों में प्रावधान हैं

अनिवार्य से संबंधित मामले में एकरूपता की आवश्यकता महसूस की गई

हम सुझाव देते हैं कि भारत संघ और बी द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

भारतीय शिक्षा परिषद की एक समान नीति होगी

प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली पृथक सेवा

संस्थान।

42. रिट याचिकाएँ और अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

सी.

मामलों का निपटारा

किया गया।

गुजराल